देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

–: अधिसूचना :–

अधिसूचना संख्या ...1122........./भू अ०   **दिनांक** :23/10/19

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–बुधनाडीह, थाना–सारठ, थाना सं०–560, अंचल–सारठ, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **शहरजोरी मोड़ (एम०डी०आर०–222 पर)–आसनबनी–अलगबरा–दुमदुमी–दनरबाद–करौं तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–बुधनाडीह, थाना–सारठ, थाना सं०–560, अंचल–सारठ, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.56** एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :–

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0) उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	36	रैयती	बाड़ी–1	0.03	यमुना महतो वो संतु महतो पे० रीतलाल महतो वो हीरालाल महतो वो जालो महतोवो भोला महतोवो खेलू महतो वो पांचू महतो पे० ढीगु महतो वो दुखन महतो वो दुखन ममहतो बस्टु महतो पे० फेकु महतो वो उपासी देव्या पति अन्दु महतो अंश समान सा० देह।	शहर पुरा, 561	सोलियाचक, 556	करन बदिया, 559 आसनसोल, 558	अर्जित दाग का अंश
2	1	35	रैयती		0.03	तथैव।				
3	1	36	रैयती	बाड़ी–1	0.02	तथैव।				
4	1	37	रैयती		0.05	तथैव।				
5	1	22	रैयती	बाड़ी–2	0.025	तथैव।				
6	1	20	रैयती	धानी–3	0.02	तथैव।				
7	2	39	रैयती	बाड़ी–1	0.055	शिवलाल मुर्मू पे० शुरू मुर्मू। अंश समान सा० देह।				
8	2	40	रैयती	बाड़ी–1	0.015	तथैव।				
9	2	41	रैयती	धानी–3	0.03	अर्जून मुर्मू (ज०रै०)				
10	2	42	रैयती	धानी–3	0.035	कालेश्वर मुर्मू वो भुसड़ मुर्मू पे० मुसु मुर्मू वो लखाय मुर्मू पे० बुधु मुर्मू वो दुलाड़ी मंछियाईन, पति लुचु मुर्मू वो बासो मुर्मू वो मनेश्वर मुर्मू वो लखीन मुर्मू पे०..............।				
11	3	152	रैयती	बाड़ी–1	0.10	अंग्रेज महतो पे० हुलाश महतो। सा० देह।				
12	5	151	रैयती	बाड़ी–2	0.11	सुगिया महतवाईन वो मादो महतवाईन वो गेंदा महतवाईन पे० किस्टो महतो वो आनन्द महतो माता सोहागी महतवाईन। अंश समान सा० देह।				
13	6	34	रैयती	बाड़ी–2	0.04	बद्री मिर्धा वो नुनुलाल मिर्धा वो सचिन मिर्धा वो युगल किशोर मिर्धा पे० ओपी मिर्धा। अंश समान सा० देह।				
				कुल रकवा–	**0.56**					

E:\2015 L.A (B.K.)\All Project for Road\Shaharjori to Karown\Notification\budhanadih.docx

19/10/19

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

22/10/19

समाहर्त्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1122 / भू अ०, देवघर, दिनांक 23/10/19

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारठ को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

22/10/19

समाहर्त्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

19/10/19
जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

19-10-19
अपर समाहर्त्ता
देवघर